भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(पी.एच अनुभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक 09.06.2021

विषय: - रोग नियंत्रण के राष्ट्रीय केंद्र (एनसीडीसी), 22-शाम नाथ मार्ग, दिल्ली -110054 के भर्ती नियमों में संशोधन पर सार्वजनिक सूचना।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. ए.बी.14017/61/2008–स्थापना (आर.आर.) दिनांक 13.10.2015 राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र (एनसीडीसी) दिल्ली -54 के भर्ती नियमों वाले मसौदा अधिसूचना में संलग्न हैं।

2 मसौदा भर्ती नियमों पर यदि कोई साझेदार किसी प्रकार की आपत्ति/टिप्पणी या सुझाव देने के इच्छुक हों तो मसौदा भर्ती नियमों के प्रकाशन के 30 दिन के भीतर श्री सोनू कुमार अवर सचिव, स्वा. एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा नं. 504– D विगं, निर्माण भवन, नई दिल्ली–110011 को लिखित में दे सकते हैं या sonu.kumar@nic.in. & publichealth2@yahoo.com. पर ई–मेल कर सकते हैं ।

(सोनू कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष–011–23062796

[भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (1) में प्रकाशानार्थ]

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)
(स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली,

सा.का.नि....................................राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्ध द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र, दिल्ली में **सहा.–निदेशक (इम्यूनोलॉजी) गैर–चिकित्सा** पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम – राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र **सहा.–निदेशक (इम्यूनोलॉजी)**

गैर–चिकित्सा (समूह 'क' पद) भर्ती नियम–2020.

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद–संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** : पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर या उक्त पदो

के साथ संलग्न वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि** – भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो

उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **आयोग्यता** – वह व्यक्ति–

क जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है ;
या

ख जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति** – जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या उचित है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति** – इन नियमों का, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं होगा, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

(सोनू कुमार)
अवर सचिव, भारत
सरकार
टेलीफ़ोन नंबर-:011-23062796

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	वरिष्ठता पर चयन या मैरिट पर	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
सहा. –निदेशक **(इम्यूनोलॉजी)** चिकित्सा / गैर–चिकित्सा	2*	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनु–सचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (67700–208700 रूपए) में स्तर–11	लागू नहीं होता	40 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अंर्तगत सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक छूट) **टिप्पण** :– आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि आसाम, मेघालय, अरूणांचल प्रदेश, मिजोरम, मणीपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर के लद्दाख मंडल, लाहौल एवं स्पीति जिले तथा हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले के पांगी उप–मंडल, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभर्थियों के लिए विहित की गई है) ।	**आवश्यक :** 1. मान्यता प्राप्त विश्वधियालय से मैडिकल या पशु चिकित्सा इम्यूनोलॉजी / माईकोबायोलॉजी / पैथोलॉजी के क्षेत्र में (एम.डी. / एम.एस.सी. / एम.वी.एस.सी) 2. स्नात्कोत्तर डिग्री के बाद कम से कम 7 वर्ष का अनुभव या एम.डी डिग्री के बाद 3 वर्ष का अनुभव या एप्लाईड रिसर्च, रेफरल सपोर्ट सर्विसिज, प्रशिक्षण, अध्यापन, प्रमाण हेतु उच्चतम अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक जनरलस् मे प्रकाशित मानवीय / पशु रोगों के संबंध में नवीन विकास में डॉक्टरेट डिग्री के बाद एक वर्ष का अनुभव । **वांछनीय :–** 1. सीधी भर्ती हेतु मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपरोक्त वर्णित किसी भी क्षेत्र में डॉक्टरेट डिग्री प्राप्त आवेदको को प्राथमिकता दी जाएगी । 2. इम्यूनिटी एवं संक्रामक रोगों, इम्यून मैकेनिज्म, इलैक्ट्रॉन माइक्रोस्कॉपी या अन्य सदृश क्षेत्रों के संबंध में बेसिक तथा एडवांस इम्यूनोलॉजिकल तकनीक में विशेषता। 3. प्रयोगशाला आंकडो के विश्लेषण एवं व्याख्या हेतु कम्पयूटर की जानकारी । अन्यथा सुअर्हित अभ्यार्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार योग्यता में छूट दी जा सकती हैं ।

*(2020) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	दो वर्ष ।	सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।
(11)
लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोग सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)
1. समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) 1. संयुक्त सचिव (संबंधित) स्वा.एवं परि.कल्याण मंत्रालय-----अध्यक्ष 2. उप महानिदेशक / निदेशक (स्वास्थ्य सेवाऐं महा निदेशालय)-----सदस्य 3. निदेशक, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र ----- सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

(सोनू कुमार)
अवर सचिव, भारत
सरकार

टेलीफ़ोन नंबर-:011-23062796

[भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (1) में प्रकाशानार्थ]

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)
(स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय)

<u>अधिसूचना</u>

नई दिल्ली,

सा.का.नि.................................... राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्ध द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान , दिल्ली में (श्रेणी–क पद) भर्ती नियम 1976, जब तक ये नियम सहायक निदेशक (बायाकेमिस्ट्री) **गैर–चिकित्सा** (कम.सं. 9) के संबंध में हैं, से संबंधित कार्य जो हो चुके हैं या नहीं करने हैं को स्थगित करते हुए, इसके स्थान पर राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र, (एन.सी.डी.सी.) दिल्ली में **सहायक निदेशक** (बायाकेमिस्ट्री) **गैर–चिकित्सा के** पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिये स्वा.सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम – राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र **सहा.–निदेशक (बायाकेमिस्ट्री)**

गैर–चिकित्सा (समूह 'क' पद) भर्ती नियम–2021.
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद–संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** : पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर या उक्त पदो के साथ संलग्न वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि** – भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **आयोग्यता** – वह व्यक्ति–

क जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है ;
या
ख जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति** – जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या उचित है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति** – इन नियमों का, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं होगा, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

(सोनू कुमार)
अवर सचिव**,** भारत
सरकार
टेलीफ़ोन नंबर-:011-23062796

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	वरिष्ठता पर चयन या मैरिट पर	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
सहा.–निदेशक (बायाकेमिस्ट्री) गैर–चिकित्सा राष्ट्रीय रोग नियेत्रण केन्द्र, दिल्ली ।	5 *(2021) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनु–सचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (67700–208700 रूपए) में स्तर–11	लागू नहीं होता	40 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक छूट) **टिप्पण** :– आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि असम, मेघालय, अरूणांचल प्रदेश, मिजोरम, मणीपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर के लद्दाख मंडल, लाहौल एवं स्पीति जिले तथा हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले के पांगी उप–मंडल, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) ।	**आवश्यक :** 1. मान्यता प्राप्त विश्वद्यिालय से बायोकेमिस्ट्री विषय में स्नात्कोत्तर डिग्री 2. 7 वर्ष का अध्यापन में अनुभव तथा/या बायोकेमिस्ट्री के क्षेत्र में अनुसंधान **वांछनीय :–** बायोकेमिस्ट्री में डॉक्टरेट । अन्यथा सुअर्हित अभ्यार्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार योग्यता में छूट दी जा सकती हैं ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।
(8)	**(9)**	**(10)**
लागू नहीं होता ।	दो वर्ष ।	सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।
(11)
लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना (इन सीटु पदोन्नति के नियम 1990 के अंतर्गत) सदृश ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोग सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)
1. समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) 1. संयुक्त सचिव (संबंधित) स्वा.एवं परि.कल्याण मंत्रालय-----अध्यक्ष 2. उप महानिदेशक (स्वास्थ्य सेवाऐं)-----सदस्य 3. निदेशक, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र ----- सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

(सोनू कुमार)
अवर सचिव, भारत
सरकार
टेलीफ़ोन नंबर-:011-23062796

[भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (1) में प्रकाशानार्थ]

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)
(स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली,

सा.का.नि.................................... राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्ध द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान , दिल्ली में (श्रेणी–क पद) भर्ती नियम 1976, जब तक ये नियम **उप सहायक निदेशक (माईक्रोबायोलॉजी)** (कम.सं. 14) के संबंध में हैं, से संबंधित कार्य जो हो चुके हैं या नहीं करने हैं को स्थगित करते हुए, इसके स्थान पर राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र, (एन.सी.डी.सी.) दिल्ली में **उप सहायक निदेशक (माईकोबायोलॉजी) के** पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिये स्वा.सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम – राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र, **उप सहायक निदेशक (माईकोबायोलॉजी) गैर–चिकित्सा** (समूह 'क' पद) भर्ती नियम–2020.
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद–संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** : पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर या उक्त पदो के साथ संलग्न वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि** – भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **अयोग्यता** – वह व्यक्ति–

क जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है ;
या
ख जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति** – जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या उचित है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति** – इन नियमों का, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं होगा, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

(सोनू कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार

टेलीफ़ोन नंबर–: 011-23062796

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	वरिष्ठता पर चयन या मैरिट पर	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उप सहायक निदेशक **(माईक्रोबायोलॉजी) गैर–चिकित्सा** राष्ट्रीय रोग नियेत्रण केन्द्र, दिल्ली ।	4 *(2020) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनु–सचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (56100–177500 रूपए) में स्तर–10	लागू नहीं होता	35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार के आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक छूट) **टिप्पण** :– आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि असम, मेघालय, अरूणांचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर के लद्दाख मंडल, लाहौल एवं स्पीति जिले तथा हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले के पांगी उप–मंडल, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभर्थियों के लिए विहित की गई है) ।	**आवश्यक** : 1. मान्यता प्राप्त विश्वद्यिालय से माईक्रोबायोलॉजी या एम.वी विज्ञान में स्नात्कोत्तर डिग्री । 2. जैविक उत्पादों के गुणवत्ता नियंत्रण में या माईक्रोबायोलॉजी अनुसंधान के क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव । (अनुभव संबंधी अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभयर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।
(8)	(9)	(10)
नहीं ।	दो वर्ष ।	सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।
(11)
लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना सदृश ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोग सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)
1. समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) 1. संयुक्त सचिव (संबंधित) स्वा.एवं परि.कल्याण मंत्रालय-----अध्यक्ष 2. उप महानिदेशक/निदेशक (स्वास्थ्य सेवाऐं)-----सदस्य 3. निदेशक, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र ——— सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

(सोनू कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

टेलीफ़ोन नंबर–:011-23062796